न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक – 06-8-21

मांक रीडर/2021/ 3356

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 धर्माराम 2 कुम्भाराम 3 पुनमाराम पिसरान रूपाराम 4 दमी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर सरणु तहसील व जिला बाडमेर।		1 गुमानसिंह 2 हरीसिंह 3 पारससिंह 4 मोहनसिंह मोहनसिंह 5 जगदीशसिंह 6 दुर्गसिंह पिसरान अगराराम 7 पदमसिंह पुत्र महादानसिंह 8 सोनी पत्नी महादानसिंह 9 खेतसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति रावणा राजपूत 10 श्री स्वामी स्वर्गीय आत्मानन्द गिरी योगी महाराज योगाश्रम ट्रस्ट मोहब्बत नगर सिरोही जरिये कोषाध्यक्ष 11 डालुराम पुत्र लाधाराम जाति जाट 12 राणाराम 13 गोकलाराम पिसरान मुकनाराम 14 सताराम पुत्र मोडाराम जाति मेगवाल 15 भूराराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर, सरणु तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 29.7.21

राजस्व आवेदन संख्या :– 279/2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षेत्र सरनु तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 549/264 रकबा 33.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2021/ 3357-60

दिनांक– 06-8-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरनु तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. धर्माराम पुत्र रूपाराम वगैराह जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर सरणु तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गुमानसिंह पुत्र अगराराम वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी इन्द्रा नगर सरणु तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर